न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 23/2025 **दायर दिनांकः 19.03.2025**

उनवान

1. नेनीबाई उर्फ नेतूबाई आयु 61 वर्ष पत्नी विजयसिंह जाति बंजारा निवासी देवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 28.04.2024**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल देवपुरा पटवार क्षेत्र केरवालिया तहसील अटरू की खाता संख्या 72 के ख0नं0 250 रकबा 0.33 है०, ख0नं0 319 रकबा 0.15 है० किता 2 रकबा 0.48 है0 आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम नेतूबाई दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम नेतूबाई दर्ज है तथा जो प्रार्थिया का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थिया का सही नाम नेनीबाई हैं। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थिया का नाम नेनीबाई है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम नेतूबाई के स्थान पर नेनीबाई दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने

का कारण प्रथम बार दिनांक 17.02.2025 को प्रार्थिया द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थिया द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरुश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम नेतूबाई के स्थान पर नेनीबाई दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1138 दिनांक 25.04.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्राथीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्राथीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल देवपुरा पटवार हल्का केरवालिया सम्वत 2071–74 खाता संख्या 72, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत केरवालिया प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल देवपुरा पटवार क्षेत्र केरवालिया तहसील अटरू की खाता संख्या 72 के ख0नं0 250 रकबा 0.33 है०, ख0नं0 319 रकबा 0.15 है० किता 2 रकबा 0.48 है0 आराजी में सहखातेदार नेतूबाई पत्नी विजयसिंह के स्थान पर नेनी बाई पत्नी विजयसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल देवपुरा पटवार क्षेत्र केरवालिया तहसील अटरू की खाता संख्या 72 के ख0नं0 250 रकबा 0.33 है०, ख0नं0 319 रकबा 0.15 है० किता 2 रकबा 0.48 है0 आराजी में सहखातेदार नेतूबाई पत्नी विजयसिंह के स्थान पर नेनी बाई पत्नी विजयसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां